

CR-337

14/08/17 9:04:40 PM

9910

14/08/17

सेवा में

✓ जन सूचना अधिकारी,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
नई दिल्ली.

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने बारे.

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है की प्रार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत निमंलिखित सूचना प्रदान करने की कृपा करे:-

श्रीमान जी मुख्यालय के आदेश स. A/1/3(IV-05)/2015/ 66253-352/CB-IV/ PHQ, dated 09.11.2015 के अनुसार 603 प्रधान सिपाहियों को ASI (Adhoc) बनाया गया था. Inspr. CR/PHQ साहब कहते है कि ASI (Adhoc) को Conv. Allow. रूपये 450/- नहीं दिया जा सकता केवल Cycle Allow. ही प्रदान किया जा सकता है. जबकि कई जिला इकाइयों में ASI (Adhoc) को Conv. Allow. रूपये 450/- प्रदान किया जा रहा है. अतः निम्न सूचना प्रदान करे:-

- (1) कि दिल्ली पुलिस में प्रत्येक जिला ईकाई में कितने ASI (Adhoc) को Conv. Allow. रूपये 450/- प्रति महा प्रदान किया जा रहा है व किस नियम से दिया जा रहा है कौपी उपलब्ध कराए.
- (2) कृपया अवगत कराए की अन्य जिला/ ईकाई में दिया जा रहा है तो PHQ में क्यों नहीं दिया जा रहा है.

नोट :- नियम अनुसार फ़ीस की रशीद सलग्न है.

प्रार्थी

ncath
14/8/17

(भरत सिंह)

ASI (Exe), No. 3665/E

PIS-28882351

Admn. Br./PHQ

Mob. 09891190851